न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सोनाराम पुत्र अमराराम जाति बावरी के का0मु0 1/1 किशनाराम पुत्र सोनाराम 1/2 लक्ष्मण पुत्र सोनाराम 1/3 बाबुलाल पुत्र सोनाराम 1/4 सुखदेव पुत्र सोनाराम 1/5 गणपत पुत्र सोनाराम 1/6 हनुमान पुत्र सोनाराम जातिगण बावरी निवासीगण बेरा केरिया सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली 1/7 मोरकी पुत्री सोनारांम पत्नि मोहनलाल जाति बावरी निवासी कण्टालिया तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली। 1/8 पपली पुत्री सोनाराम पत्नि मुल्तानराम जाति बावरी निवासी दुदौड़ तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली। 1/9 पुनीदेवी पुत्री सोनाराम पत्नि तिलोकराम जाति बावरी निवासी कण्टालिया तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली। 1/10 राजुदेवी पुत्री सोनाराम पत्नि गोरधनलाल जाति बावरी निवासी कण्टालिया तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।	1. अमराराम पुत्र भैराराम जाति बावरी (नाम हटाया गया) 2. मांगीलाल पुत्र अमराराम जाति बावरी के का0मु0 2/1 फाउलाल पुत्र मांगीलाल 2/2 कैलाश पुत्र मांगीलाल 2/3 सोनकी विधवा मांगीलाल जातिगण बावरी निवासीगण बेरा कंटेरिया ढाणी, बिलावास तह0 सोजत। 3. भोलाराम पुत्र अमराराम 4. मदनलाल पुत्र अमराराम जातिगण बावरी निवासीगण बेरा केरिया सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली। 5. शांति पत्नि वरदा पुत्री अमरा जाति बावरी निवासी बासना तह0 सोजत। 6. मेवा पत्नि गेपर पुत्री अमरा जाति बावरी निवासी मालकोसनी तह0 बिलाड़ा जिला जोधपुर। 7. गोगा पत्नि सुखदेव पुत्री अमरा जाति बावरी निवासी लांबा तह0 बिलाड़ा जिला जोधपुर। 8. मोहनी विधवा श्रवण जाति बावरी निवासी बेरा कंटेरिया तह0 सोजत। 9. पारसा पुत्र श्रवण जाति बावरी निवासी बेरा कंटेरिया सोजत सिटी तह0 सोजत 10. रमेश पुत्र श्रवण जाति बावरी निवासी निवासी बेरा कंटेरिया सोजत सिटी तह0 सोजत 11. मुकेश पुत्र श्रवण जाति बावरी 12. कंचन पुत्री श्रवण 13. अशोकी पुत्री श्रवण प्रतिवादी सं0 11 से 13 नाबालिग जरिये संरक्षक माता मोहनी देवी। 14. लक्ष्मी पत्नि श्रवण उर्फ भुण्डाराम पुत्री श्रवण जाति बावरी निवासी मालकोशनी तह0 बिलाड़ा जिला जोधपुर। 15. मोकली पत्नि पारसा पुत्री श्रवण जाति बावरी निवासी अबकाई ढाणी तह0 बिलाड़ा जिला जोधपुर। 16. तहसीलदार भूमि धारक सोजत।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 101/2010

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपस्थितिः— 01. श्री गजेन्द्र मेहता अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 29/09/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में अप्रार्थी सं0 1 अमराराम जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 से 7 व मृतक श्रवण का पिता है, उनके नाम खातेदारी हक की कृषि भूमि खसरा नंबर 160, 181, 187, 202, 207, 172, 173, 173/6310, 194/1, 176, 177, 38 से 43, 55, 56, 58, 59, 60 , 61, 64, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 79, 81, 82, 92, 93 कुल खसरा 35 कुल रकबा 26.89 है0 की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि अमरा की स्वअर्जित नहीं होकर उसके पिता भैरा व उसके भाई जेठा पिसरान नरसिंह से विरासत से प्राप्त हुई। जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा हैं। अप्रार्थी सं0 1 अमराराम ने वादपत्र के पद सं0 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि में से दिनांक 02.04.2008 को ख.नं. 160, 181, 187, 202, 207, 172, 173, 173/6310 व 194 कुल खसरा 09 कुल रकबा 6.92 है0 भूमि प्रार्थी के हक में वशीयत कर तहरीर व तकमील करवा दिया। अप्रार्थी सं0 1 अमराराम ने ऐसा ज्ञात है कि उसने अपनी कुल खातेदारी कृषि भूमि जिसका विवरण वाद पत्र के पद सं0 2 व प्रार्थना पत्र के पद सं0 3 में दिया है का वशीयतनामा अप्रार्थी सं0 5 शांति, 6 मेवा, 7 गोगा, 2 मांगीलाल, 3 भोलाराम, 4 मदनलाल व 8 मोहनी के हक में दिनांक 27.08.2010 को तहरीर व तकमीलं कर पंजीयन करवा दिया। जो इन अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 अमराराम से बहला फुसलाकर लिखवाया। अप्रार्थी सं0 1 अमरा को वशीयत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थी सं0 1 अमराराम ने दो विवाह किये थे। प्रथम विवाह सुगनाई से किया जिससे एकमात्र पुत्र प्रार्थी सोनाराम हैं। सुगनाई की मृत्यु के पश्चात् सायरी से नाता किया जिससे अप्रार्थी सं0 2 से 7 उत्पन्न हुए। अप्रार्थी सं0 8 से 15 श्रवण के वारिश हैं। विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी 1/3 हिस्से का हकदार खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण 1 से 15 की नियत में फितुर आ गया हैं, जो प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि में बेरा केरिया के खसराजात की भूमि में प्रार्थी अकेला 1/4 हिस्से पर पिछले 40 वर्षो से काबिज काश्त हैं तथा अप्रार्थीगण 1 से 15 बेरा कंतोरिया की कृषि भूमि पर काबिज हैं। प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना 1/3 हिस्सा को अलग करवाना चाहता हैं। यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण प्रार्थी को विवादित कृषि भूमि से बेदखल कर देते हैं। तो प्रार्थी का वाद लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता हैं। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करने एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 3 से 5 तथा 8 से 13 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से दिनांक 18.07.2011 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 30.05.2022 को अप्रार्थी सं0 6 व 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

नाम वादपत्र से हटा दिया गया हैं तथा अप्रार्थी सं0 2 के का0मु0 2/1 से 2/3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अप्रार्थी सं0 14 व 15 वावजूद सूचना/तामिल आजतक न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध आज एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। अप्रार्थी सं0 16 जवाब प्रार्थना पत्र पेश करना नही चाहने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 2/1 से 2/3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैरा सं0 1 व 2 अस्वीकार है, पैरा सं0 3 स्वीकार हैं। वादग्रस्त भूमि भैरा व उसके भाई जेठा को विरासत से प्राप्त हुई बताना गलत है। पैरा सं0 4 सम्पूर्ण गलत होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी सं0 1 को वशीयतनामा तहरीर व तकमील करने का पूर्ण अधिकार हैं। पैरा सं0 5 में सम्पूर्ण तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी को वशीयतनामा शून्य करने हेतु सिविल न्यायालय में जाना चाहिए। रेवेन्यू न्यायालय को वशीयतनामा पर सुनने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रथम दृष्टया मामलां व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। पिता के जीवंत काल में पुत्र खातेदारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनीं गई। विद्धान अभिभाषणगण अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 अमराराम जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 से 7 व मृतक श्रवण का पिता है, उनके नाम खातेदारी हक की कृषि भूमि खसरा नंबर 160, 181, 187, 202, 207, 172, 173, 173/6310, 194/1, 176, 177, 38 से 43, 55, 56, 58, 59, 60 , 61, 64, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 79, 81, 82, 92, 93 कुल खसरा 35 की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि अमरा की स्वअर्जित नहीं होकर उसके पिता भैरा व उसके भाई जेठा पिसरान नरसिंह से विरासत से प्राप्त हुई। जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा हैं। अप्रार्थी सं0 1 अमराराम ने वादपत्र के पद सं0 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि में से दिनांक 02.04.2008 को ख.नं. 160, 181, 187, 202, 207, 172, 173, 173/6310 व 194 कुल खसरा 09 कुल रकबा 6.92 है0 भूमि प्रार्थी के हक में वशीयत कर तहरीर व तकमील करवा दिया। अप्रार्थी सं0 1 अमराराम ने ऐसा ज्ञात है कि उसने अपनी कुल खातेदारी कृषि भूमि जिसका विवरण वाद पत्र के पद सं0 2 व प्रार्थना पत्र के पद सं0 3 में दिया है का वशीयतनामा अप्रार्थी सं0 5 शांति, 6 मेवा, 7 गोगा, 2 मांगीलाल, 3 भोलाराम, 4 मदनलाल व 8 मोहनी के हक में दिनांक 27.08.2010 को तहरीर व तकमील कर पंजीयन करवा दिया। जो इन अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 अमराराम से बहला फुसलाकर लिखवाया। अप्रार्थी सं0 1 अमरा को वशीयत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिसे वाद निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जावें। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को वशीयतनामा शून्य करने हेतु सिविल न्यायालय में जाना चाहिए। रेवेन्यू न्यायालय को वशीयतनामा पर सुनने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। पिता के जीवंत काल में पुत्र खातेदारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया। यद्यपि पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में दानकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जायेगा तथापि प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात व शपथ पत्र के आधार पर मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता हैं। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायेचित प्रतित नही होता हे।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)